न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 325 सन 2018
अनवान :—

1. सन्तलाल पुत्र अर्जनराम जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. अर्जनराम पुत्र लालुराम जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
2. भूराराम 3 भैराराम पि0 अर्जनराम जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर
4 मीरा पत्नी लालूराम जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर
5. रेशमी पुत्री लालुराम जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर
6. महावीर 7 लक्ष्मी 8 कलावती 9 किशलाल 10 प्रेमा पुत्र/पुत्रीया प्रेमेश्वरी पुत्री लालूराम जाति मेधवंशी निवासी धानसिया तहसील नोहर।
11 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।
उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :— 07.08.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा धानसिया के खता संख्या 649/521 के खसरा न0 296/1454 की 1.2930हैक , ख0न0 875 की 0.3036हैक खसरा न0 898 की 8.6020हैक , खसरा न0 915 की 4.6805हैक , खसरा न0 1030 की 5.8190हैक , खसरा न0 1234 की 1.8975हैक कुल 22.5929हैक भूमि जिसके वादी के दादा लालूराम पुत्र इन्द्रा खातेदार काश्तकार थे लालूराम ने अपने जीवनकाल में एक वसीयत अपने जीवनकाल में अपने पोतो भूराराम, सन्तलाल , भैराराम व अपने एक पुत्र अर्जनराम के नाम से करवाई गई थी लालूराम का देहानत 27.05.2017 को हो चुका है लालूराम की वसीयत के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 खातेदार काश्तकार है लालूराम की पुत्री परमेश्वरी का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 है लालूराम की वसीयत के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने में अन्य प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है अतः लालूराम की वसीयत के अनुसार वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा लालूराम के नाम से दर्ज थी जिन्होने अपने जीवनकाल में अपने पोतों एवं पुत्र के नाम से वसीयत तहरीर करवाई गई अब लालूराम का देहान्त हो गया है लालूराम की वसीयत के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी के दादा लालूराम के नाम से दर्ज थी लालूराम का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है जो मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र से साबित है जो राजस्व रिकार्ड में भी दर्ज है वादी का कथन है वादी के दादा लालूराम ने अपने जीवनकाल में अपने पोतो एवं अपने पुत्र अर्जनराम के नाम से वसीयत की गई थी लालूराम का देहान्त दिनांक 27.05.2017 को हो चुका है लालूराम की वसीयत के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की लालूराम पुत्र इन्द्रा की वसीयत के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने वसीयत के अनुसार भूमि दर्ज करने की सहमति भी पेश की जा चुकी है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसीया के खाता संख्या 649/521 की कुल 22.5929हैक भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब के खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ता 10 को नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

Sanjay

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official